न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(चिन्मयी गोपाल,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 47/2019
प्रविष्टि दिनांक 18–7–2019

रामभरोस पुत्र केसरलाल जाति मीना निवासी ग्राम–कोटड़ी तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

–अपीलाण्ट

वनाम

नायब तहसीलदार सोप जिला– टोंक

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व निर्णय नायब तहसीलदार सोप दिनांक 20–6–2019 मिसल नम्बर 14/2019

उपस्थिति : (1) श्री दौलतराम चोधरी अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री मजहर आलम,राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट

निर्णय दिनांक 22–9–2021

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सोप ने अपने निर्णय दिनांक 20–6–2019 के द्वारा अपीलान्ट को राजकीय भूमि खसरा नम्बर 21 रकबा 0.01 हे0,वाके ग्राम कोटड़ी तह0 उनियारा में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण कर पक्का मकान बनाने का दोषी मानते हुए भूमि से वेदखल करने 1000/रूपये की पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने का आदेश दिया है। अपीलान्ट ने नायब तहसीलदार सोप के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलवी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलव की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि नायब तहसीलदार सोप द्वारा निर्णय से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया है ओर नोटिस पर अपीलान्ट की विधिवत् व्यक्तिशः तामिल नही कराई गई है। निर्णय एकतरफा में पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय पारित करने से पूर्व हल्का पटवारी से जिरह करने का अवसर [illegible] और पटवारी हल्का द्वारा रंजिशवश गलत रिपोर्ट की है, जबकि उक्त मकान [illegible] वर्ष से भी अधिक समय से मौके पर बना हुआ है। अपीलान्ट के मकान में बिजली [illegible]ल आदि कनेक्शन लगा हुआ

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2022.02.01 11:47:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

है। साथ ही यह भी निवेदन किया है कि नायब तहसीलदार ने अपीलान्ट को एक ही निर्णय के द्वारा तीन सजाऍं कमशः बेदखल करने पेनल्टी कायम करने व सिविल कारावास की सजा का निर्णय पारित किया है, कानूनन इस प्रकार एक ही निर्णय द्वारा सारी सजायें एक साथ दिये जाने का प्रावधान नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दोषपूर्ण होने से निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को नोटिस जारी किया गया है जिस पर अपीलान्ट की विधिवत रूप से तामिल हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अपीलान्ट ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 21 रकबा 1.01 है0,वाके ग्राम कोटड़ी तह0 उनियारा में राजकीय भूमि पर पक्का निर्माण कर मकान बना कर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलान्ट ने इससे पूर्व भी अतिक्रमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 26/17 से बेदखल किया गया था। अपीलान्ट भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है एंव बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस देकर सुनवाई का अवसर दिया गया है। नोटिस पर अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ अपीलान्ट ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 21 रकबा 1.01 है0,वाके ग्राम कोटड़ी तह0 उनियारा में राजकीय भूमि पर पक्का निर्माण कर मकान बना कर अतिक्रमण कर रखा है। अपीलान्ट ने इससे पूर्व भी अतिकमण किया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली सं0 26/17 से बेदखल किया गया था। अपीलान्ट ने स्वंय ने भी उक्त मकान बना होना तथा नल, बिजली कनेक्शन लिया होना अपील मीमो में अंकित किया है। अपीलान्ट विवादित भूमि पर से अपना कब्जा छोड़ना नहीं चाहता है एंव बार-बार अतिक्रमण करने का आदी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार शोप का निर्णय दिनांक 20-6-2019 यथावत रखा जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22-9-2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चिन्मयी गोपाल)
जिला कलेक्टर, टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2022.02.01 11:47:08 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner